

29-5-2015

पंचवती आज राजस्व लोक अदालत में
पंचायत फुलेरा पर प्रस्तुत हुयी वही
डीएल लाल व पुत्रिवादीगण की ओर
के पुत्रिवादी न। शामिल उपस्थित
बाद वही डिडी किया जा चुका है।
उप प्राप्य के चलने का कोई
अधिकार नहीं है। अतः प्राप्य का
प्राप्य स्वार्थिज किया जाता है।
पंचवती केवल नमुमा हे कर नम्बर
के कम है तथा शामिल हुए
बाद है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक